दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांक संख्याः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2017 / 4027 दिनांक : 29.05.2017

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री हरि नारायण सिंह शिक्षण संस्थान,
डेरामूसी, बड़ागॉव, फैजाबाद।

विषय– स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक अपने पत्र दिनांक 30.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है, कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध करायें गयें अभिलेखों के आधार पर विचारोपरानत कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010, 25 नवम्बर 2013 एवं 15 जुलाई 2015 के अलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत / अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र सं	नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	शै0 योग्यता	विषय
1	श्री मनोज कुमार	श्री बी0आर0 गंगवार	04.04.1989	नेट	भौतिक विज्ञान
2	श्री अभिषेक बहादुर सिंह	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह	12.03.1987	नेट	रसायन विज्ञान
3	श्री विकास सिंह	श्री आनन्द प्रताप सिंह	20.10.1989	नेट	वनस्पति विज्ञान
4	श्री वासुदेव कुमार	श्री नन्हेराम गुप्ता	20.06.1989	नेट	जन्तु विज्ञान
5	श्री सतेन्द्र कुमार	श्री ओम प्रकाश	10.12.1984	नेट	गणित

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांक संख्या: लो0अ0वि0/सम्ब0/2016/[illegible] दिनांक [illegible] 2016

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री हरि नारायण सिंह शिक्षण संस्थान,
डेरामूसी, बड़ागॉव, फैजाबाद।

विषय– स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक अपने पत्र दिनांक 25.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है, कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध करायें गयें अभिलेखों के आधार पर विंचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010, 25 नवम्बर 2013 एवं 15 जुलाई 2015 के अलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र सं	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	शै0 योग्यता	विषय
1	श्री संतोष कुमार सिंह	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	26.02.1980	नेट	हिन्दी
2	सुप्रिया	श्री अमरेन्द्र विक्रम	13.02.1995	नेट	गृहविज्ञान
3	रश्मि आनन्द	श्री काशीराम	03.02.1996	नेट	राजनीतिशास्त्र
4	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	श्री भानु प्रताप सिंह	20.05.1993	नेट	समाजशास्त्र
5	श्री विजय कुमार	श्री लल्लू प्रसाद	16.10.1989	नेट	शिक्षाशास्त्र
6	श्री अमरेश वर्मा	श्री गिरिजा प्रसाद	01.01.1990	नेट	भूगोल
7	श्वेता सिंह	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	20.11.1983	पी0एच–डी0	प्राचीन इतिहास

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव